



## प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 28.05.2022

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:—

### जिलाधिकारी खीरी व पुलिस अधीक्षक खीरी की अध्यक्षता में “थाना समाधान दिवस” का आयोजन



आज दिनांक 28.05.22 को माह के चतुर्थ शनिवार को जनपद के प्रत्येक थानों पर “थाना समाधान दिवस” का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी खीरी, श्री महेन्द्र बहादुर सिंह व पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री संजीव सुमन द्वारा थाना कोतवाली सदर एवं थाना फूलबेहड़ पर उपस्थित रहकर “थाना समाधान दिवस” की अध्यक्षता की गई। इस दौरान फरियादियों की समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर जनशिकायतों की निष्पक्ष जाँच करके विधिक निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। थाना समाधान दिवस में प्राप्त प्रार्थना पत्रों का समयबद्ध रूप से निस्तारण करने तथा जिन प्रार्थना पत्रों का निस्तारण उच्चाधिकारी स्तर से किया जाना है उन पर रिपोर्ट लगाकर सम्बंधित अधिकारी को प्रेषित करने के लिए निर्देशित किया गया। इसके साथ ही जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारीगण द्वारा भी सर्किल के थानों पर उपस्थित रहकर जनशिकायतों का निस्तारण कराया गया।

## थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा, विभिन्न अभियोगों से संबंधित 02 नफर वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 28.05.2022 को थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा 02 नफर वारंटी अभियुक्तों जितेन्द्र कुमार पुत्र राम लड़ैते व छोटे पुत्र रामकुमार को गिरफ्तार कर माननीय न्याय भेजा जा रहा है।

### गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का विवरण-

1. जितेन्द्र कुमार पुत्र राम लड़ैते नि० ग्राम दुर्गा नगर थाना मैगलगंज जनपद खीरी
2. छोटे पुत्र रामकुमार नि० ग्राम दुर्गा नगर थाना मैगलगंज जनपद खीरी

## थाना तिकुनिया पुलिस द्वारा, 01 अदद तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर सहित एक नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 28.05.2022 को थाना तिकुनिया पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर अवैध शस्त्र के साथ युवक का प्रसारित विडियो के क्रम के त्वरित कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना पर रपटा पुलिया चक्करपुर के पास से अभियुक्त लखविन्दर पुत्र पूरन सिंह नि० खैरटिया थाना तिकुनियाँ जनपद खीरी को 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना तिकुनियाँ पर मु०अ०सं० 147/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत करके अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय भेजा गया है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

लखविन्दर पुत्र पूरन सिंह नि० खैरटिया थाना तिकुनियाँ जनपद खीरी

### बरामदगी का विवरण:-

01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर

01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ०नि० लाल बहादुर मिश्र, थाना तिकुनिया
- 2.हे०का० सुभाष निषाद, थाना तिकुनिया
- 3.का० प्रशांत तेवतिया, थाना तिकुनिया

## थाना हैदराबाद पुलिस, जुआ खेलते हुए 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्ष महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अपराध की रोकथाम, अवैध क्रियाकलापों के विरुद्ध एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 27.05.2022 को थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा जुआ खेलते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 52 अदद ताश के पत्ते व 3,300 रूपये बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में हैदराबाद पर मु०अ०सं 214/2022 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत कर न्यायायिक प्रक्रिया पूर्ण करते हुए अभियुक्तों का चालान मा० न्यायालय भेजा गया है।

## थाना मोहम्मदी पुलिस, जुआ खेलते हुए 04 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्ष महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अपराध की रोकथाम, अवैध क्रियाकलापों के विरुद्ध एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 27.05.2022 को थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा जुआ खेलते हुए 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 52 अदद ताश के पत्ते व 1,450 रूपये बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में मोहम्मदी पर मु०अ०सं 363/2022 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत कर न्यायायिक प्रक्रिया पूर्ण करते हुए अभियुक्तों का चालान मा० न्यायालय भेजा गया है।

## वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन मे व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते निम्न अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया:-

1. थाना भीरा पुलिस द्वारा, मु0अ0सं0 175/22 धारा 323/504/506 भादवि0 में वांछित अभियुक्त संदीप उर्फ पवन पुत्र वीरुपाल निवासी मालपुर थाना भीरा जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
2. थाना धौरहरा पुलिस द्वारा, मु0अ0सं0 373/04 धारा 323/324/504 भादवि0 में वारण्टी अभियुक्तगण 1. नेतराम पुत्र विद्रा, 2. संजय पुत्र सीताराम निवासी बाबापुरवा थाना धौरहरा जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
3. थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा, मु0अ0सं0 48/22 धारा 138 NI Act में वारण्टी अभियुक्त मोहित पुत्र राजेश निवासी संकटा देवी थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
4. थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा, मु0अ0सं0 3713/17 धारा 498A भादवि0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट में वारण्टी अभियुक्त रोहित पुत्र शत्रोहन निवासी अमकोटवा थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
5. थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा, मु0अ0सं0 102/19 धारा 135 वि0अधि0 में वारण्टी अभियुक्त अरूण पुत्र बनवारी निवासी अमकोटवा थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
6. थाना खीरी पुलिस द्वारा, मु0अ0सं0 801/16 धारा 0अधि0 भादवि0 में वारण्टी अभियुक्ता हुशनूर पत्नी जलीशअहमद निवासी बुखारीटोला थाना व जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया

**अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 338 लीटर अवैध शराब व 09 शराब भट्टी बरामद कर 25 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया**



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटे में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **338 लीटर अवैध** कच्ची शराब व **09 शराब भट्टी** बरामद कर **25 अभियुक्तों** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **24 अभियोग** पंजीकृत किए गए।